इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021—फाल्गुन 28, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक—भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.— स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.— (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम. (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2021

क्र. एफ 1(ए)19—2017—ब—2—दो.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)—2020—EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018—21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) परिवार सहित स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)—2020—EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील है.

क्र. एफ 1(ए)69—2013—ब—2—दो.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज, भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)—2020—EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018—21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है :–

1. श्री संजय तिवारी	–	स्वयं,
2. श्रीमती श्रृद्धा तिवारी	–	पत्नी,
3. प्रज्ञान तिवारी	–	पुत्र,
4. कु. आराधिका तिवारी	–	पुत्री.

(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)/2020–EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा.

क्र. एफ 1(ए)175–1997–ब–2–दो.– राज्य शासन, विभागीय समयंख्यक आदेश दिनांक 26 दिसम्बर 2020 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री चंचल शेखर, भापुसे, तत्का. पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर वर्तमान में अति. पुलिस महानिदेशक, एस.सी.आर.बी., पु.मु., भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2020 तक, 5 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) आदेश की शेष कंडिका यथावत् रहेगी.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2021

क्र. एफ 1(ए) 29–2013–ब–2–दो.– राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रियाज इकबाल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, पु.मु., भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)/2020–EII(A),दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018–21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है :–

1.	श्री रियाज इकबाल,	–	स्वयं,
2.	श्रीमती दिव्या मोहन,	–	पत्नी,
3.	कु. दिया रियाज,	–	पुत्री,
4.	कु. मिशा रियाज,	–	पुत्री.

(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)/2020–EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2021

क्र. एफ 1(ए) 59–2012–ब–2–दो.– राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पु.मु., भोपाल को दिनांक 20 से 27 जनवरी 2021 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (योजना), पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 117–2017–ब–2–दो.– राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)–2020–EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018–21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नालिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है :–

1.	श्री आशुतोष,	–	स्वयं,
2.	श्रीमती संस्कृति,	–	पत्नी,
3.	कु. तरंग,	–	पुत्री,
4.	कु. ध्वनि,	–	पुत्री.

(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)/2020–EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2021

पंजी क्र. 1135–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील–सोहागपुर, जिला–होशंगाबाद में विभागीय आदेश दिनांक 29 जुलाई 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री नारायण प्रसाद शर्मा का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2021

पंजी क्र. 1136–2021–इक्कीस–ब (दो).– राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील–शहपुरा, जिला–डिण्डौरी में विभागीय आदेश दिनांक 3 जुलाई 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री.रवि अग्रवाल का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2021

क्रमांक. एफ–3–41/2021/18–5 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना कमांक 4974–विदिशा वि.यों 496/नग्रानि/2020 दिनांक 20/11/2020 द्वारा प्रकाशित विदिशा विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार विदिशा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में 19(1) में अनुमोदित किया गया है, तथा योजना की प्रति निम्मलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात :–

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
2. कलेक्टर, जिला विदिशा मध्य प्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय– विदिशा, मध्य प्रदेश
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद विदिशा

	क्र	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात प्रावधान
1	1	अध्याय–3 **3.10 बायपास मार्गो पर नियंत्रण** "इन मार्गो के दोनो ओर 75–75 मीटर भूमि छोडकर 200 मीटर गहराई तक निम्न गतिविधियां प्रस्तावित की जा सकती है।"	अध्याय–3 **3.10 बायपास मार्गो पर नियंत्रण** इस बायपास के दोनो ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात तथा इसके पश्चात मार्ग के दोनो तरफ 200–200 मीटर गइराई तक कृषि भूमि उपयोग मे निम्मलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी। अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग अनुरूप मान्य होंगी। बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा।
	2	4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमन	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>4.7.1 ले–आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन निम्नानुसार होंगे–
विदिशा : ले–आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन
<table>
<tr><th>क.</th><th>ले–आउट का न्यूनतम क्षेत्र (हे. में)</th><th>न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत में)</th><th>एमेनिटी के लिये न्यूनतम क्षेत्र यथा शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं (प्रतिशत)</th><th>स्थानीय सुविधाजनक दुकानें (प्रतिशत)</th><th>अधिकतम आवासीय भूखण्डीय क्षेत्र (प्रतिशत)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>4.0 हे. या अधिक</td><td>10</td><td>8.0</td><td>2.0</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3 हे. से 3.99</td><td>12</td><td>6.5</td><td>1.5</td><td>50</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2.0 हे. से 2.99</td><td>13</td><td>6.0</td><td>1.0</td><td>50</td></tr>
</table>
टीप :– आवास एवं पर्यावरण नीति 2007 में समय–समय पर किये गये संशोधन मान्य होंगे।</td>
<td>विलोपित</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4.20 बायपास मार्ग 'इस बायपास के दोनो ओर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र छोडते हुए इसके पश्चात् मार्ग के दोनो तरफ 200–200 मीटर तक निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार होंगी' –</td>
<td>4.20 बायपास मार्ग इस बायपास के दोनो ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200–200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी। अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी। बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा।</td>
</tr>
</table>

2		सारणी 4 सा 18 के सरल कमांक 4 कॉलम 4 में कलाकेन्द्र के पश्चात् निम्नानुसार अतः स्थापित किया जाता है :– सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
3		सारणी 4 सा 18 के सरल कमांक 7 कॉलम 4 में गौशाला के पश्चात् निम्नानुसार अतः स्थापित किया जाता है :– सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या –

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वार्णित उद्योग एवं संस्थायें।

ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील–कसरावद, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

क्र. 29–भू–अर्जन–2020–21 कसरावद, दिनांक 06 जनवरी 2021

प्ररुप- ''ख''
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 22 अ-82/2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बेगंदा तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगाने (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयागे में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	हतोला प.ह.न.-36	45	0.002
			130/2	0.011
			141/4	0.011
		कुल योग	**03**	**0.024**

क्र. 171–भू–अर्जन–2020–21 कसरावद, दिनांक 25 जनवरी 2021

प्ररुप- ''ख''

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 05 अ-82/20-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मे जल परिवहन हेतु ग्राम-डाबरी तहसील-कसरावद एवम् जिला खरगोन में मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवम् डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवंडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा पद्रत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	डाबरी प.ह.न.-38	352	0.009
			358/2	0.004
			358/1	0.006
			360	0.012
			364/5	0.002
			364/4	0.002
			365	0.001
			289/1/1	0.007
			290	0.001
			347/3	0.002
			347/2	0.006
			347/1	0.006
			346/1	0.005
			305	0.008
			38/1	0.008
			37	0.003
			346/2	0.005
			307/4	0.009
			306/1	0.005

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	डाबरी प.ह.न.-38	295	0.004
			22/2	0.005
			303/4	0.001
			303/3	0.006
			303/2	0.005
			303/1	0.009
			38/3/2	0.008
			24	0.003
			28/1	0.002
			31	0.002
			32/1	0.008
			65/3	0.008
			65/1	0.001
			65/8	0.008
			64/3	0.013
			69/1	0.010
			69/3	0.004
			71/1	0.008
			71/2	0.004
			72/1	0.002
			73/1/1	0.003
			73/1/2	0.001
			77/1/1	0.009
			76/1	0.004
			76/2	0.015
			289/1/2	0.005
			288	0.017
			281/1	0.009
			281/2	0.005
			281/3	0.002
			266	0.001
			270	0.007
			269	0.003
			229/1	0.003
			228/4	0.003
			228/2	0.006
			406/2	0.012
			407	0.002
			414/2	0.006
			419/1	0.005

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	डाबरी प.ह.न.-38	414/1	0.006
			422/2	0.006
			422/1	0.006
			425/2	0.010
			425/1	0.012
			117	0.007
			116	0.009
			115/1	0.014
			95/1	0.002
			94/2	0.002
			91/1	0.014
			91/2/4	0.002
			92/3	0.006
			92/2	0.007
			92/1	0.004
			287	0.007
		कुल योग	75	0.444

संघ प्रिय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 389–भू–अर्जन–2021 छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जनवरी 2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक–F-22/03/2017–18/ल.सि./31/1358 भोपाल, दिनांक 19/06/2018 की छायाप्रति संलग्न है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–6 (2) के अन्तर्गत "लघु सिंचाई योजना" बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है,इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें।" अतः अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा–11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः–

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांढुर्णा	ग्राम– कुकडीखापा, प0ह0न–64 ब.न.–47 रा.नि.मं. –पांढुर्णा	रकबा–0.433 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू–अर्जन अधिकारी तहसील–पांढुर्णा जिला छिन्दवाडा	डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि–सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू–अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील–पांढुर्णा, जिला छिन्दवाडा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि–सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू–अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनूपपुर, दिनांक 2 फरवरी 2021

क्रमांक– 674/स्था./तीन–एक/2021 :: तहसील अनूपपुर अन्तर्गत फुनगा क्षेत्र की आम जनता को अपनी राजस्व एवं अन्य समस्याओ के समाधान हेतु हो रही कठिनाईयो तथा जन प्रतिनिधियो की मांग पर मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–1–3/2015/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16 जनवरी 2015 के अनुसार कानून व्यवस्था तथा जन समस्याओ के सुचारू संपादन को दृष्टिगत रखते हुए फुनगा मे उप तहसील घोषित किया जाता है।

2/– उपरोक्त उप तहसील कार्यालय की स्थापना मे होने वाला आवश्यक व्यय, तहसील अनूपपुर द्वारा वहन किया जावेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर द्वारा उप तहसील कार्यालय के न्यायालयीन कार्य सम्बन्धी कार्य क्षेत्र का निर्धारण भौगोलिक एवं जन सुविधा की दृष्टि से सुनिश्चित किया जावेगा।

चन्द्रमोहन ठाकुर, कलेक्टर.

राजस्व निरीक्षक मण्डल फुनगा को उपतहसील का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव

वर्तमान तहसील					प्रस्तावित उपतहसील फुनगा में सम्मिलित राजस्व निरीक्षक मण्डल, पटवारी हल्का व ग्राम		
क्र0	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का क्रमांक व नाम	सम्मिलित ग्राम	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का	ग्राम
1	अनूपपुर	केल्हौरी	01-बकही	बकही	-	-	-
2			02-बरगवां	बरगवां	-	-	-
3			03-केल्हौरी	केल्हौरी	-	-	-
4			04-देवरी	खोली	-	-	-
5				देवरी	-	-	-
6			05-देवहरा	देवहरा	-	-	-
7				सकीला	-	-	-
8			06-पटनाकला	पटनाकला	-	-	-
9				पटनाखुर्द	-	-	-
10			07-डोगराटोला	अमिलिहा	-	-	-
11				डोंगराटोला	-	-	-
12				तुम्मीवर	-	-	-
13		सकरा	08-खम्हरिया	खम्हरिया	-	-	-
14				बरहाटोला	-	-	-
15				भंगहा	-	-	-
16		केल्हौरी	09-धिरौल	धिरौल	-	-	-
17				बोड़डिहा	-	-	-
18			10-चिल्हारी	चंदवार	-	-	-
19				चिल्हारी	-	-	-
20			11-चकेठी	चकेठी	-	-	-
21		सकरा	12-मेडियारास	चचाई आबाद	-	-	-
22				चचाई वीरान	-	-	-
23				मेडियारास	-	-	-
24			13-परसवार	परसवार	-	-	-
25				मौहरी	-	-	-
26			14-सकरा	छीरापटपर	-	-	-
27				निदावन	-	-	-
28				सकरा	-	-	-
29			15-औढेरा	अंकवा	-	-	-
30				औढेरा	-	-	-
31				किरर	-	-	-
32				बडहर	-	-	-
33			16-जमुडी	जमुडी	-	-	-
34				डिडवापानी	-	-	-
35				बैरीबांध	-	-	-
36			17-लखनपुर	अगरियानार	-	-	-
37				पौंडीखुर्द	-	-	-
38				लखनपुर	-	-	-
39			18-ताराडाड	कर्राटोला	-	-	-
40				ताराडाड	-	-	-

वर्तमान तहसील					प्रस्तावित उपतहसील फुनगा में सम्मिलित राजस्व निरीक्षक मण्डल, पटवारी हल्का व ग्राम		
क्र0	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का क्रमांक व नाम	सम्मिलित ग्राम	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का	ग्राम
41		अनूपपुर	00019-दुलहरा	दमना	-	-	-
42				दुलहरा	-	-	-
43				सकरिया	-	-	-
44			20-पिपरिया	कुसुमहाई	-	-	-
45				पिपरिया	-	-	-
46				बेला	-	-	-
47			21-दुधमनिया	केकरपानी	-	-	-
48				दुधमनिया	-	-	-
49			22-कांसा	कांसा	-	-	-
50				कोड़ा	-	-	-
51			23-छुलहा	छुलहा	-	-	-
52				बेलिया	-	-	-
53			24-सेंदुरी	सेन्दुरी	-	-	-
54			25-बर्री	बर्री	-	-	-
55			26-अनूपपुर	अनूपपुर	-	-	-
56				सामतपुर	-	-	-
57			27-हर्री	भगतबांध	-	-	-
58				हर्री	-	-	-
59		बरबसपुर	28-पोंडी	पौंडी	बरबसपुर	28-पोंडी	पौंडी
60				मानपुर			मानपुर
61			29-बकेली	कोदैली		29-बकेली	कोदैली
62				बकेली			बकेली
63			30-खांडा	खांड़ा		30-खांडा	खांड़ा
64				खोलगढ़ी			खोलगढ़ी
65			31-बरबसपुर	बरबसपुर		31-बरबसपुर	बरबसपुर
66				भोलगढ़			भोलगढ़
67				सीतापुर			सीतापुर
68			32-पसला	पसला		32-पसला	पसला
69			33-बिजौंडी	जल्दाटोला		33-बिजौंडी	जल्दाटोला
70				बिजौड़ी			बिजौड़ी
71			34-कोलमी	कोलमी		34-कोलमी	कोलमी
72				छुलकारी			छुलकारी
73			35-रक्सा	रकसा		35-रक्सा	रकसा
74		फुनगा	36-फुनगा	ठूंठी	फुनगा	36-फुनगा	ठूंठी
75				फुनगा			फुनगा
76			37-पाली	धनकुटा		37-पाली	धनकुटा
77				पाली			पाली
78			38-मझगवां	चटुआ		38-मझगवां	चटुआ
79				मझगवां			मझगवां
80			39-धनगवां	धनगवां		39-धनगवां	धनगवां
81				धनपुरी			धनपुरी

वर्तमान तहसील					प्रस्तावित उपतहसील फुनगा में सम्मिलित राजस्व निरीक्षक मण्डल, पटवारी हल्का व ग्राम		
क्र0	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का क्रमांक व नाम	सम्मिलित ग्राम	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का	ग्राम
82			40-बम्हनी	बम्हनी		40-बम्हनी	बम्हनी
83			41-छिल्पा	छिल्पा		41-छिल्पा	छिल्पा
84			42-देवरी	देवरी		42-देवरी	देवरी
85				मौहरी बड़ी			मौहरी बड़ी
86			43-मुड़धोवा	मुड़धोबा		43-मुड़धोवा	मुड़धोबा
87				लोहासुर			लोहासुर
88			44-अमलई	अमलाई		44-अमलई	अमलाई
89				सेमरवार वीरान			सेमरवार वीरान
90			45-धुम्मा	धुम्मा		45-धुम्मा	धुम्मा
91			46-कदमटोला	कदमटोला		46-कदमटोला	कदमटोला
92		पसान	47-पयारी	पयारी	पसान	47-पयारी	पयारी
93			48-दैखल	दैखल		48-दैखल	दैखल
94				बांकाटोला			बांकाटोला
95			49-छोहरी	छोहरी		49-छोहरी	छोहरी
96			50-किकरीपोडी	किकरीपोड़ी		50-किकरीपोडी	किकरीपोड़ी
97			51-परासी	परासी		51-परासी	परासी
98			52-धुरवासिन	कोटमी		52-धुरवासिन	कोटमी
99				धुरवासिन			धुरवासिन
100			53-पड़ौर	पड़ौर		53-पड़ौर	पड़ौर
101			54-लतार	मझटोलिया वीरान		54-लतार	मझटोलिया वीरान
102				लतार			लतार
103			55-हरद	हरद		55-हरद	हरद
104			56-बदरा	कुशियारा		56-बदरा	कुशियारा
105				बदरा			बदरा
106			57-पसान	जमुना		57-पसान	जमुना
107				पसान			पसान
		06 राजस्व निरीक्षक मण्डल	**57 हल्के**	**107 ग्राम**	**03 राजस्व निरीक्षक मण्डल**	**30 हल्के**	**49 ग्राम**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 342–री–1–भू–अर्जन–2021–प्र.क्र.–अ–82–2020–21 मंदसौर, दिनांक 26 फरवरी 2021

(आपसी सहमति से भूमि क्रयनीति के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 मंदसौर जिले में चोसला तालाब के वेस्ट वियर के पानी मे भूमि मटेरियल द्वारा प्रभावित का खेत पर जाने के कारण के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे कमांक विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है।

अतः भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम चौसला (रामनगर)				तहसील – दलौदा
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.		
स.क.	विवरण	सिंचित	असिंचित	कुल
1	ग्राम चौसला (रामनगर)	0.24	–	0.24
		0.23	–	0.23

अनुसूची (2)

मंदसौर जिले में आने वाली निजी भूमि का विवरण :–

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित हे.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	कमलाबाई बेवा नाथुलाल , पुष्कर, श्यामलाल, सोहनबाई, ताराबाई,मुन्नाबाई,रेखाबाईपिता नाथुलाल गायरी निवासी चौसला (रामनगर)	27	0.47	0.24	–	0.24
		28	0.45	0.23	–	0.23
					योग –	0.47 हे.

भूमि नक्शा व प्लान का अवलोकन भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ–2–8–2019–सात–शा.7–190 भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2021

म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 कमांक 01 के परिशिष्ट 01 में उल्लेखित मुख्य शीर्ष "स" अंतर्गत शीर्ष– 153 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाता है :–

शीर्ष क्रमांक	मामलों का विवरण	अधिनियम	धारा	रखने की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
155	निक्षेपों की वापसी में व्यतिकम होने पर कार्यवाही	म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000	4	8 वर्ष

टिप्पणी.– मुख्य शीर्ष "स" के पश्चात् मुख्य शीर्ष "ड" प्रमाण पत्र संबंधी में शीर्ष कमांक 154 पूर्व से होने से मुख्य शीर्ष "स" में शीर्ष कमांक 153 के पश्चात् शीर्ष कमांक 155 जोड़ा गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 01–अ–82–2019–20 छतरपुर, दिनांक 8 मार्च 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा –19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

क. जिला– छतरपुर ख. तहसील– राजनगर

ग. ग्राम– सलैया घ. लगभग क्षेत्रफल– 41.342 है.

स.क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा (है.)
1	2	3	4
1	अनंदी पिता खूबा लछिया देखिया बसंती नौनी बाई पारवती सरजू बाई पुत्री खूबा मु. कलिया बेवा खूबा कोदर सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	2	1.736
		4/1	0.028
2	बुदैया कौंदर पुत्र भगवाना कौंदर जाति कौंदर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	4/2	0.809

3	छन्नू पिटुवा, पि. रामगरीब कौंदर पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	4/3	1.214
4	जगत सिंह गौंड पुत्र रघुनाथ सिंह जाति गौंड पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी पन्नू गौंड पुत्र मन्नू लाल जाति गौंड पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भू–स्वामी लालजू गौंड पुत्र मन्नू लाल जाति गौंड पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भू स्वामी गंगिया गौंड बेवा मन्नू लाल जाति गौंड पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भू स्वामी	5	0.381
		6	0.150
		7	0.510
		8	0.012
		9	0.247
		11	0.291
		12	0.356
		13	0.142
5	मुलिया गौंड पुत्री रजवा जाति गौंड पता चन्द्रनगर राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	10	0.534
6	हरदेव सिंह चतुर सिंह गिरवर सिंह कमला सिंह पि. गुमान सिंह जाति गौंड पता सा. देह भूमि स्वामी	14	0.340
		20	0.737
7	मु0 गौरीबाई बेवा नथुवा सुम्मेरा मनीराम हरलाल पि. नथुवा कौंदार पता सा. देह भूमि स्वामी	15	1.113
8	छन्नू पिटुवा पि. रामगरीब कौंदार पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	17	0.659
9	मतिया अहीर पुत्र रामप्रसाद अहीर जाति यादव पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18	0.368
10	मथुरा तनय धनुवा सत्ती बेवा धनुवा कौंदर पता सा. देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	19/1	2.023
11	रामचरन दीना पिता जगुवा जाति गौंड पता सा. देह भूमि स्वामी	19/2	1.726
12	झिंगा पत्नि कल्लू गौरीबाई पत्नि लल्लू कौंदर पता सा. देह भूमि स्वामी	19/3	1.023
13	नन्याई कदुवा गोविंदी रतीराम सरजू पिता पंचा गुलजारी बेवा पंचा कौंदर पता सा. देह शासकीय पट्टेदार (विभाग)	19/4	1.305
14	मन्ती कौंदर पुत्री प्यारेलाल कौंदर जाति कौंदर पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	19/5	1.699
15	गदुवा कौंदर पुत्र धनीराम कौंदर जाति कौंदर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित	22/1/2	1.500
16	नन्नी बाई कौंदर पत्नि मथुरा कौंदर जाति कौंदर पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि विक्रय पर प्रतिबंध	22/1/3	1.260
17	चतुर सिंह तनय गुमान सिंह जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित	22/1/4	0.352
18	परमी बाई पति कमला कौंदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित	22/1/5	0.110
19	अशोक कुमारी पति हरदेव सिंह गौंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित	22/1/6	0.100
20	झगडू तनय धन्नी कौंदर निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त	22/1/8	1.500
21	लल्लू पिता झगडू कौंदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	22/1/9	1.104
22	जगदीश कमलेश पिता माधव प्रसाद ब्रा. शिव किशोर तनय लक्ष्मी प्रसाद ब्रा. शंकर तनय टीकाराम बनिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	22/3	0.297
23	बसंता रंजीता गौरीबाई पुनिया तनय पुन्ना हि. 1/2 कम्मोदा अम्मू लल्लू तनय बाबूलाल निमिया बेवा बाबूलाल कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	24/1	0.490
		24/3	0.547
24	मोतीलाल तनय हल्कू गौंड पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)	24/2	0.263
25	कला पुत्री हल्का कौंदर पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)	25	1.538
26	उमा प्रसाद पान्डे पुत्र जानकी प्रसाद पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामवतार पान्डे पुत्र जानकी प्रसाद पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी भरतलाल पान्डे पुत्र जानकी प्रसाद पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी गोवर्धन प्रसाद पान्डे पुत्र परमानन्द पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी देवी प्रसाद पान्डे पुत्र परमानन्द पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी दशरथ पान्डे पुत्र परमानन्द पान्डे जाति पान्डे पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	26	0.170
		46	0.002

27	नथुवा तनय मोना 1/2 मथुरा तनय नथुवा 1/2 जाति कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	27/1/क	0.224
28	अमरदा पिता गबडू कौंदर फूलबाई जुग्गा जनकाबाई नौनी बाई बिन्ना पुत्री तिजवा पारवती बेवा तिजवा कौंदर पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)	27/2	0.202
		27/7	0.305
29	हरीदास तनय बुद्धप्रकाश जाति पाण्डेय पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	47	0.383
30	चिंजा तनय भदुवा चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)	48/2	0.607
		48/3	0.809
31	भवानीदीन तनय कल्का कौंदर पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार (विभाग)	52	0.287
32	रतीराम तनय भूरा कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53	0.180
33	किशोरी तनय वंदी जाति गौंड पता नि. ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	54/1	1.200
34	सन्तू तनय वंदी जाति गौंड पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	54/2	1.147
35	खिल्ला तनय टूडा जाति कोंदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55	0.654
36	मोहन पिता हल्लू लखन उर्फ कोर कमलेश छंगा उर्फ फूलचन्द्र मुकेश पिता कोमल ममता वाई हल्की विन्नू उर्फ राजकुमारी पुत्री कोमल सियाबाई वेवा कोमल जाति कोंदर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	58	0.003
		59	0.222
		75	0.028
		76	0.210
37	बब्बू तनय जमनाप्रसाद जाति ब्रा0 1/2 भाग भूमि स्वामी राकेश कुमार पिता नारायण दास जाति शर्मा पता नि. ग्राम वार्ड नं. 4 प्रकाशपुरा तह. जतारा 1/2 भाग भूमि स्वामी	60	0.809
		61	1.193
38	अनंदी राजा तनय जमुना प्रसाद जाति ब्रा. पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	62	0.862
		67	0.388
		68	0.271
		69	0.150
		70	0.088
39	तुलसाबाई ब्राम्हण पुत्री मोहनलाल जाति ब्राम्हण पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	65	0.449
40	रामचरन दीना पिता जगुवा, श्याम भागवती तुलसा विमला बस्ती पुत्री जगुवा जाति गौंड पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	66	0.918
41	मंती उददतिया पुत्री खरगा कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	72	0.023
		73	0.003
		74	0.006
42	बंदी हैवरन लछनलाल जनकी पिता जुग्गू पंचू पुन्ना सन्तू पिता रमिया टुईया राजा पुत्री रमिया कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	92	0.009
		93	0.011
43	गनेशा पिता हपलू कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	94/2	0.259
44	प्यारीबाई चिरोंजिया गोरी बाई पुत्री मोतीलाल पिरिया बेवा मोतीलाल कौंदर पारवती सखी बाई पुत्री दुर्जना ना.बा. सर मां हक्कीबाई बेवा दुर्जना व हक्कीबाई बेवा दुर्जना काशीराम बलू तनय हरिया मु. भुरी बेवा हरिया मु. भुरी बेवा हरिया कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	96	0.034
		97	0.036
		98	0.079
		99	0.143
		101	0.058
45	कुसुमबाई पति हल्काई कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि	100/2	0.378
46	चत्तीबाई पति कल्लू कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि बिक्री से प्रतिबंधित	102/2	0.822
47	रामसेवक ग्यादीन तनय रमदीना कौंदर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	103	1.173
48	विजय किशोर अग्निहोत्री पुत्र शिवकिशोर जाति ब्राहण पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अवधकिशोर अग्निहोत्री पुत्र शिवकिशोर जाति ब्राहण पता सलैया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	1305/3	0.083
	कुल योग (है.)	76 किता	41.342

2. पिपरिया तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू–अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र. क्र. 0004–अ–82–2020–21

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा –19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

क. जिला– छतरपुर ख. तहसील– बक्स्वाहा

ग. ग्राम– सुनहरा घ. लगभग क्षेत्रफल– 2.715 है.

स.क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा (है.)
1	2	3	4
1	प्रहलादसिंह तनय नन्हेसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	9	0.085
2	मोनिका पत्नि ब्रजेश जाति विल्थरे पता सुनहरा भूमि स्वामी	10/1/1/2	0.017
3	गणेश पिता धनसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	10/1/2	0.030
4	कोमल पुत्र वन्दी जाति लोधी पता ग्राम सुनहरा	12/1	0.043
5	धनसींग तनय तुलई जाति लोधी	18/1	0.003
	शासकीय (शा. नं. 18 में)	19	0.067
6	केवलसिंह तनय मुरलीधर पुनियां, खरगी पिता मुरलीधर जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	20	-
	शा. नं. 20 में	21	0.012
7	विन्द्रावन, धानसिंह पिता मुलु जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	22	0.057
		174	0.095
8	अजुद्धी तनय दरौवा जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	23	0.048
9	गनेशसिंह तनय धनसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	24	0.091
10	नेपाल सिंह तनय गुलझार उर्फ चतुर सिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	38	0.097
		175	0.079
11	सिया रानी वेवा माधौसिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	140	0.004
		141	0.001
12	मुन्ना तनय पंचूमु. तिजिया वेवा पंचू 1/2 चिट्टू पिता भूरे रूपसींग मानसींग पिता सिल्ली सुहद्रा उत्तरा पुत्री सिल्ली जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	153	0.025
		319	0.082
13	धरम सिंह तनय छुट्टन सिंह ठाकुर पता सा.देह भूमि स्वामी	154/1	0.019
14	मन्दिर श्री श्री 108 राम- लाला जी मन्दिर पुजारी रामनाथ तनय सुखनन्दन जाति ब्राम्हण पता सा. देह भूमि स्वामी	154/2	0.022
15	उज्जन तनय लटकू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	155	0.059
16	ज्योती सिह पत्नी धरमसिह ठाकुर पता निवासी ग्राम	156	0.065
17	हिम्मत तनय बारेलाल जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	158	0.003
		172	0.048
18	परमलाल तनय हेमराज जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	159	0.020
		166	0.079
		168	0.010
		169	0.017
		170	0.011
19	सुजीवकुमार पिता घग्घूलाल सोनी पता निवासी बक्सवाहा भूमि स्वामी	160	0.045

स.क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा (है.)
1	2	3	4
20	प्रहलाद मनू अवध भरत धरम हरीसींग त्रदावाई गीतावाई पुत्री छुट्टन रूपरानी वेवा छुट्टन पता सा. देह भूमि स्वामी	161	0.034
21	धीरज सिंह ठाकुर पुत्र मान सिंह पता सुनहरा भूमि स्वामी	162/1	0.006
22	विन्द्रावन पुत्र मुलु जाति लोधी पता सुनहरा वक्सवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी धानसिंह पुत्र मुलु जाति लोधी पता सुनहरा वक्सवाहा छतरपुर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	171	0.002
23	दिलीप सिंह पिता मदन सिंह लोधी ना. वा. वली पिता मदन सिंह पिता विन्द्रावन जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	173	0.040
24	हरिया तनय कोमल जाति लोधी पता स. देह भूमि स्वामी	316/1	0.066
25	घनसू तनय नत्थू सींग श्यामवाई वेवा सरूपसींग अजमेर हाकम पिता सरूपसींग जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	316/2/1	0.019
26	खिलानसिंह, कोशोरीसिंह पिता उज्जन सिंह जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	318	0.089
27	दुरगसींग पिता उत्तम वडीवाइ हल्कीवाई पुत्री उत्तम मजलीवाई पुत्री उत्तम ना. व. वली मां श्रीवाई वेवा उत्तम खुमनिया वेवा वब्बू जाति लोधी पता सा. देह	320/2	0.047
28	नन्हेभाई पिता भुज्जू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	320/3	0.024
29	हरीवाई वेवा घनसू कलुवा लीला पिता घनसू, पारवती पुत्री घनसू, ना.वा. वलिसूर मां हरीवाई वेवा घनसू जाति लोधी पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी, चित्तर तनय जोरावल जाति लोधी पता सा. देह 1/2 भाग भूमि स्वामी	322/1	0.051
30	मन्नू लाल तनय जोरावल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	329	-
		330/2	0.026
		332	0.035
31	जगदीश पिता राजाराम जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	333	0.068
32	धनसींग उर्फ भूरा हरगोविन्द जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	334	0.001
33	जालम तनय झल्लू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	335/2	0.014
34	चित्तर मन्नू पिता जोरावल हीरावाई वेवा घनसू कलुवा लीला पिता घनसू पार्वती पुत्री घनसू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	349	0.081
35	उखत पिता नत्थू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	350/1	0.083
		350/2/1	-
	शासकीय (शा. नं. 350/2 में)	359	0.009
	शासकीय (शा. नं. 350/2 में)	360	0.001
36	मथुरा बाई पुत्री केसरी सिंह जाति ठाकुर जाति पता सा. देह भूमि स्वामी	353/3	0.007
		355	0.034
	शासकीय (शा. नं. 355 में)	356	0.042
	मथुरा बाई पुत्री केसरी सिंह जाति ठाकुर जाति पता सा. देह भूमि स्वामी	643/3	0.039
		644	0.052
37	परषोत्तम पिता नत्थू जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	354	0.096
38	सुम्मेर पुत्र खुमानसिंह जाति ठाकुर पता सुनहरा	643/2	0.103
	शासकीय (शा. नं. 643/3 में)	687	0.109
39	देव सींग तनय धन्नू जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	648/1	0.031
40	घनश्याम, नन्नेबाई, दुर्जन पिता मोतीलाल, गुदिया पुत्री मोतीलाल जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	649/2	0.080
41	दरवारी पिता भगुन्ते जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	650	0.060
42	फेरनसिंह तनय उज्जन जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	651	-
	शा. नं. 651 में	652/1	0.008

स.क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा (है.)
1	2	3	4
43	जसरथ तनय कमोदे जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	684	0.032
44	झल्कन तनय कोमल लोधी जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	685	0.073
		686	0.019
कुल योग (है.)		67 किता	2.715

2. गढीसेमरा तालाब परियोजना की नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र. क्र. –02–अ–82–2019–20

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा –19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

क. जिला– छतरपुर ख. तहसील– राजनगर

ग. ग्राम– डुंगरिया घ. लगभग क्षेत्रफल– 2.715 है.

स.क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा (है.)
1	2	3	4
1	गोरेलाल कुर्मी पुत्र लघुवा जाति कुर्मी पता डुंगरिया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	15	0.601
2	सरमन पटेल पुत्र बच्चू जाति कुर्मी पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	16/3	0.207
3	वारे भईया लाल गोरी बाई पिता मन्तुवा जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	22	0.097
		23	0.055
		24	0.045
		25	0.049
		26	0.036
4	श्रीमति नन्नी पत्नि बारेलाल श्रीमती प्रेमबाई पत्नि भैयालाल पटेल जाति कुर्मी पता सा. देह भूमि स्वामी	27	0.093
		28	0.407
5	गोरेलाल कुर्मी पुत्र लघुवा जाति कुर्मी पता डुंगरिया राजनगर छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	31/2	0.756
6	बारेलाल कुर्मी पुत्र भन्तू कुर्मी जाति कुर्मी पता छतरपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	34	0.066
7	रामराज मिजाजी किशोरी पिता माखनलाल हि. 3/4 रामराज मिजाजी किशोरी पिता माखनलाल श्याम पुत्री माखनलाल जाति कुर्मी पता सा. देह हि. 1/4 भाग भूमि स्वामी	35	0.246
		36	0.008
8	रामचरन तनय ललता प्रसाद जाति ब्रा. 1/2 भाग भूमि स्वामी बालचंद तनय सुक्की जाति ब्रा0 पता सा. सा. तलैया 1/2 भाग भूमि स्वामी	38	0.049
कुल योग (है.)		14 किता	2.715

2. पिपरिया तालाब परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र. क्र. –0003–अ–82–2020–21

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (4) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा –19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषणा कि है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

- अनुसूची -

1. भूमि का वर्णन

क. जिला– छतरपुर ख. तहसील– बक्स्वाहा

ग. ग्राम– बक्स्वाहा घ. लगभग क्षेत्रफल– 0.055 है.

स.क्रं.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्रं.	अर्जित रकवा (है.)
1	2	3	4
1	खुमान तनय दयाल लोधी जाति लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	59/1	0.055
कुल योग (है.)		01 किता	0.055

2. गढीसेमरा तालाब परियोजना की नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी विजावर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 मार्च 2021

क्र. 1372-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पालादौन, प.ह.नं.-23/3, ब. नं.-164, रा. नि. मं.-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-02.684 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/9	0.050
184/1, 185/1, 186/1	0.240
174/8/1	0.070
151/1/2	0.142
151/2	0.060
174/8/3	0.080
148/2, 149/3, 152/3	0.145
145/3	0.055
143	0.075
141	0.040
142	0.050
131/1	0.045
129	0.070
131/2, 133/2	0.060
107/4, 108/4	0.052
122/2	0.124
122/5, 123/2	0.036
122/4	0.076
122/1	0.048
111/4, 121/4	0.086
111/3, 121/3	0.032
111/1, 121/1	0.032
116	0.048
117/1	0.026
117/2	0.040
24/1	0.067
20	0.076
21	0.036
23/2	0.005
23/3	0.026
23/4	0.026
23/5, 24/4	0.027
24/2	0.027
24/3	0.040
153	0.172
157, 158/1, 159, 160/1	0.176
160/2, 161, 162	0.168
164/1	0.048
96/4, 97/4, 98/2	0.008
योग. .	02.684

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नादंना वितरक नहर की माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 22 फरवरी 2021

प्र. क्र. 07-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—सेवढ़ा
(ग) ग्राम—शिकारपुरा
(घ) क्षेत्रफल—0.160 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
129/1	0.120	0.030
129/4	0.120	0.050
129/6	0.110	0.040
130	1.090	0.030
133	1.020	0.010
योग . .	2.460	0.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच रोड के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—सेवढ़ा
(ग) ग्राम—रिपौली
(घ) क्षेत्रफल—0.270 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
50	0.250	0.010
51	0.320	0.040
52	0.280	0.020
53	0.020	0.010
54	0.080	0.050
270/1/2	0.080	0.020
270/2/2	0.080	0.020
271	0.560	0.100
योग . .	2.160	0.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच रोड के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

दतिया, दिनांक 26 फरवरी 2021

प्र. क्र. 07-अ-82-2020-201.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—सेवढ़ा

(ग) ग्राम—डिरौलीडांग

(घ) क्षेत्रफल—1.540 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. में)	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
35/2	0.400	0.060
35/3	0.400	0.050
35/4	0.400	0.050
37	0.930	0.180
38/2	0.320	0.150
40/2	0.320	0.040
40/3	0.800	0.040
40/4	0.800	0.030
41/2	0.480	0.250
46	0.200	0.030
47	0.080	0.010
49	0.400	0.080
50/2	0.200	0.100
155	1.180	0.080
156	1.210	0.240
157	0.400	0.050
158	0.810	0.070
160	1.000	0.030
योग . .	10.330	1.540

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत एप्रोच रोड के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा, जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 8 दिसम्बर 2020

क्र. 6804-कले.-रीडर-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की वैफल फायरिंग रेन्ज के निर्माण कार्य हेतु आवश्यकता है. Field Firing And Atillery Practice Act, 1938 के नियम 9 उपधारा (1) एवं (3) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला का नाम—बालाघाट

(ख) तहसील का नाम—किरनापुर

(ग) ग्राम का नाम—जानवा, पटवारी हल्का नं.-15, रा.नि.मंडल-किरनापुर.

(घ) क्षेत्रफल—130X60=7380 वर्गफुट.

खसरा नंबर	रकबा (हे. मे)	मे से रकबा (वर्गफुट)	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
67, 68/1, 223, 280	0.202, 6.535, 13.160, 0.660	7380	तीन वर्ष

(2) प्रयोजन—वैफल फायरिंग रेंज निर्माण कार्य हेतु.

(3) अनुमोदित नक्शा पत्र में संलग्न है.

(4) नक्शा का निरीक्षण कलेक्टर, न्यायालय एवं कार्यालय कमाण्डेंट कोबरा बटालियन जिला आरक्षित पुलिस लाईन बालाघाट में किया जा सकता है.

अधिसूचना प्रकाशन को जाने के दो माह के बाद उक्त कार्य किये जाने की पात्रता होगी.

दीपक आर्य, कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 4th March 2021

No. C-704-1-7-3-2020(Part-I).—In partial modification to the Registry Notification No. D-4763-1-7-3-2020, (Part-I), dated 11th November 2020, it is hereby declared that 05th March 2021 (Friday) shall be a non Court working day for the High Court of Madhya Pradesh Main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior. In lieu of the same, 25th September, 2021 (Saturday) is declared as a Court working day for the High Court of Madhya Pradesh Main Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior.

By orders of Hon'ble the Chief Justice,

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 26 फरवरी 2021

क्र. D-894-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री कृष्णकांत शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . 225
   अर्द्धवेतन अवकाश . . 75
   योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश= ——————————— X 75
के एवज में नगद 30
भुगतान.

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी 2021

क्र. A-668-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री सिंघई को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . 210
   अर्द्धवेतन अवकाश . . 90
   योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=210 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश= ——————————— X 90
के एवज में नगद 30
भुगतान.

क्र. A-670-दो-2-32-2018.—श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (J-II) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 19 फरवरी 2021 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (J-II), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (J-II) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 मार्च 2021

क्र. A-772-दो-2-23-2017.—श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), वृत्त-ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2020 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 3 मार्च 2021

क्र. A-758-दो-2-25-2015.—श्री ए. के. भाटिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 23 जनवरी 2021 का एवं दिनांक 25 जनवरी 2021 का कुल दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 23 जनवरी से 05 फरवरी 2021 तक, चौदह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. भाटिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. भाटिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-760-दो-2-43-2020.—श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 31 अक्टूबर 2020 से 19 फरवरी 2021 तक, एक सौ बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-762-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2021 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-768-दो-2-34-2018.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 17 से 19 फरवरी 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. A-770-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 05 से 13 फरवरी 2021 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-774-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 03 से 07 नवम्बर 2020 तक, पांच दिन तथा दिनांक 27 से 28 नवम्बर 2020 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-776-दो-2-28-2018.—श्री आर. सी. वार्ष्णेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2021 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 19 फरवरी 2021 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. D-961-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 08 फरवरी से 19 फरवरी 2021 तक, बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-963-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 12 से 17 मार्च 2021 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 मार्च 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-965-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 09 से 11 फरवरी 2021 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-967-दो-2-32-2019.—श्री मोहम्मद शकील खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-969-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष 2019 से 2023 तक के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक)2011, दिनांक 08 अगस्त 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12th October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20th October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23 October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 4 मार्च 2021

क्र. D-1013-दो-2-30-2020.—श्री अफसर जावेद खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 23 से 25 फरवरी 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अफसर जावेद खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अफसर जावेद खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.